न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 04/2016 (पुराना 56/2015)

राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर .....*प्रार्थी*

बनाम

श्री भँवरलाल पुत्र श्री माणकचन्द जैन प्रोपराईटर गोयल इण्डस्ट्रीज, एफ–144, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया,केकडी। .....*अप्रार्थी*

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित ;... 1. श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी प्रर्वतन अधिकारी — पैरोकार सरकार
2. श्री पी.एस. सोनी, जिनेश सोनी — अभिभाषक अप्रार्थी

आदेश

दिनांक– 12.04.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दालो के अवैध भण्डारण की सूचना पर दिनांक 22.10.2015 को जिला रसद अधिकारी अजमेर (द्वितीय) मय रसद स्टाफ द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अप्रार्थी की मैसर्स गोयल इण्डस्ट्रीज, एफ–144, रिको औद्योगिक क्षैत्र केकडी के परिसर में अलग–अलग स्थानो पर बिना आर.टी.ए.एल. लाईसेंस के अवैध रूप से भण्डारित 830 कट्टो में कुल 414.00 क्वि0 मोगर दाल एवं 825.80 क्वि0 मूंग कुल योग 1239.80 क्वि0 पैंकिग सहित राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 के खण्ड 18 के उपखण्ड (1) में प्रदत शक्तियों के तहत राजहित में कब्जे राज किया जाकर मौके पर ही श्री ज्ञानचन्द सिंघल पुत्र श्री रतनलाल निवासी गणेश चौक बघेरा आर.टी.ए.एल.व्यवसायी (9/1992) को अग्रिम आदेश तक यथावत एवं सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दिया गया। नियमानुसार एक समय में किसी भी व्यवसायी को 10 क्वि0 से अधिक दालो के विक्रय हेतु खरीद एवं भण्डारण के लिए राजस्थान व्यापारिक वस्तु अनुज्ञापन एवं नियंत्रण आदेश 1980 के खण्ड 3 के उपखण्ड (i) एवं (ii) अन्तर्गत अनुज्ञापत्र होना आवश्यक है अप्रार्थी/फर्म मैसर्स गोयल इण्डस्ट्रीज के पास उक्त आदेश के तहत कोई वैद्य अनुज्ञापत्र नहीं पाया जाने पर दालों का खरीद एवं भण्डारण बिना अनुज्ञापत्र किया जाना प्रमाणित होने के कारण कब्जे राज ली गई 1239.8 क्वि0 दाले एवं मूंग को मय बारदाना आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत राजसात किये जाने के आदेश हेतु न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर के यहॉ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी/पैरोकार सरकार द्वारा जब्त शुदा सामग्री (मूंग मोगर एवं दाल) का शीघ्र अन्तरिम निस्तारण के निवेदन पर अन्तरिम निस्तारण बाबत नियमानुसार निर्धारित प्रकिया के तहत अपेक्षित कार्यवाही कर प्राप्त राशि बतौर (ता फैसला रसद प्रा0पत्र) राजकोष में जमा कराने हेतुक जिला रसद अधिकारी अजमेर को निर्देशित किया गया। प्रस्तुत इस्तगासा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये व जवाब नोटिस एवं प्रार्थना पत्र 6–बी प्रस्तुत कर समय वास्ते साक्ष्य/जिरह प्रद्वत किये जाने का निवेदन किया इस प्रार्थना पत्र के साथ 1990

12/04/18

जिला कलक्टर
अजमेर

CRI.L.J.1969 (PATNA HIGH COURT) पेज 1969 से 1973 एवं Cr.L.R.(Raj.) 288 JAIPUR BENCH के पेज 289 से 293 की फोटो स्टेट प्रति पेश की एवं उद्वत करवाई। जिसका प्रार्थी पैरोकार सरकार ने विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रकरण दालो के अवैध भण्डारण से सम्बन्धित होकर 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जब्त दालो के निस्तारण की अपेक्षित कार्यवाही का है। वरवक्त जब्ती कार्यवाही अप्रार्थी को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी उनके द्वारा कोई साक्ष्य/सबूत यथा भण्डारण हेतु आवश्यक आर. टी.ए.एल. लाईसेन्स अथवा इस हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने सम्बन्धी कोई जानकारी तथ्य तत्समय प्रस्तुत नहीं किये। चूंकि अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है जिसमें साक्ष्य सम्बन्धी तथ्यों का उल्लेख आवश्यक रूप सें दर्ज किये होगें। इसलिए प्रकरण की प्रकति के मध्यनजर पृथक से साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है प्रकरण का शीघ्र निस्तारण किया जाना न्याय संगत एवं कानूनन अपेक्षित है। वैसे वरवक्त बहस अप्रार्थी अपने शेष अन्य कथनों को मान0 न्यायालय के समक्ष प्रकट कर सकते है। लिहाजा बहस सुनी जावे। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीर के सन्दर्भ में प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के खण्ड 18 एवं 19ए (पेज सं0 18 एवं 19) की फोटो स्टेट प्रति पेश की तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीर प्रकरणं में लागू नहीं होने के कथन कहे। पैरोकार सरकार द्वारा बताये गये उपरोक्त तथ्यों के अन्तर्गत अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होने पर प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया। उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा 1239.80 क्वि0 दाले एवं मूंग को मय बारादाना आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत राजसात किये जाने का आदेश दिनांक 10.11.2015 को पारित किया गया। साथ ही उक्त जब्त सामग्री 1239.80 क्वि0 (दाले एवं मूंग) का अन्तरिम निस्तारण, आदेश दिनांक 30.10.2015 द्वारा किया जाने से जिला रसद अधिकारी, अजमेर को इसका नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त राशि नियमानुसार राज्य कोष में जमा कराई जाने के भी निर्देश दिये गये।

इस आदेश के विरूद्ध अप्रार्थी भॅवरलाल पुत्र माणकचन्द जैन प्रो0 गोयल इण्डस्ट्रीज द्वारा माननीय न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजमेर के यहॉ अपील प्रस्तुत की गई जो विधिवत निस्तारण हेतु अंतरित होकर न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–1 अजमेर (राज0) को प्राप्त होने पर माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.4.2016 द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.11.2015 अपास्त कर पुनः इस न्यायालय (जिला कलक्टर,अजमेर) को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि वे दोनो पक्षों को समुचित साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए मामले का निरस्तारण करें। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार प्रकरण पुनः दर्ज कर उभय पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। आदेश की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज कर उभय पक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा श्री विनयकुमार शर्मा जिला रसद अधिकारी द्वितीय एवं नीरज कुमार जैन प्रवर्तन निरीक्षक के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये, जिनसे अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा जिरह पूर्ण की गई। अप्रार्थी की ओर से अप्रार्थी भॅवरलाल के बयान कलमबद्ध करवाये गये जिनसे पैरोकार सरकार द्वारा जिरह पूर्ण की गई। तत्पश्चात उपस्थित उभय पक्ष की बहस अपील सुनी गई। पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में मुख्यतः कथन किया कि दालो के अवैध भण्डारण की सूचना पर दिनांक 22.10.2015 को जिला रसद अधिकारी अजमेर (द्वितीय) मय रसद स्टाफ के अप्रार्थी की मैसर्स गोयल इण्डस्ट्रीज, एफ–144, रिको औद्योगिक क्षैत्र केकडी की जांच किये जाने पर फर्म के परिसर पर कुल 1239.80 क्वि0 मोगर दाल एवं मूंग का स्टॉक मिला। मौके पर पूछताछ में

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

2/5/18

जिला कलक्टर
अजमेर

अप्रार्थी द्वारा न तो आर.टी.ए.एल.लाईसेंस प्रस्तुत किया एवं ना ही इसके आवेदन किये जाने बाबत कोई साक्ष्य/रसीद प्रस्तुत की गई। चूंकि यह स्टॉक बिना लाईसेंस धारक व्यापारी हेतु अधिकतम अनुमत सीमा 10 क्वि0 से बहुत अधिक होने से उक्त 1239.80 क्वि0 दाल एवं मूंग पैंकिग सहित राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 के खण्ड 18 के उपखण्ड (1) में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजहित में कब्जे राज की जाकर मौके पर मैसर्स श्री ज्ञानचन्द सिंघल पुत्र श्री रतनलाल निवासी गणेश चौक बघेरा आर.टी.ए.एल.व्यवसायी (9/1992) को अग्रिम आदेश तक यथावत एवं सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दिया गया। जब्ती होने के बावजूद अप्रार्थी द्वारा जब्त सामग्री को मिली भगती कर खुर्द–बुर्द किया गया व तत्पश्चात जब्त सामग्री की राशि जमा करवाने हेतु निवेदन किया गया। किसी भी व्यवसायी को 10 क्वि0 से अधिक दालो के विक्रय/खरीद एवं भण्डारण के लिए राजस्थान व्यापारिक वस्तु अनुज्ञापन एवं नियंत्रण आदेश 1980 के खण्ड 3 के उपखण्ड (i) एवं (ii) अन्तर्गत अनुज्ञापत्र प्राप्त करना आवश्यक है। जब कि अप्रार्थी श्री भॅवरलाल पुत्र श्री माणकचन्द जैन प्रोपराईटर गोयल इण्डस्ट्रीज एफ–144, रिको औद्योगिक क्षैत्र केकडी के द्वारा वैध अनुज्ञापत्र बिना दालों का खरीद एवं भण्डारण किया जाना प्रमाणित होने से कब्जे राज ली गई 1239.80 क्वि0 दाल एवं मूंग मय बारदाना आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत राजसात किये जाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित है।

जवाब में अप्रार्थी अभिभाषक ने अपने जवाब कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र कथनों को सिरे से नकारते हुए कथन किया कि अप्रार्थी एक दाल उत्पादक है, उक्त परिसर मे उसकी दाल मिल स्थापित है। वर्तमान में वह अपना उद्योग मैसर्स गोयल इण्डस्ट्रीज केकडी के नाम से चला रहा है। अप्रार्थी के पास कृषि उपज मण्डी समिति, अजमेर का स्थाई लाईसेन्स है, एवं वह वाणिज्यिक कर विभाग से भी पंजीकृत है। उनके पास Food safety and standard act, 2006 के तहत राजस्थान सरकार के सम्बन्धित विभाग द्वारा जारी लाईसेंन्स भी है। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 16.10.2015 को आर.टी.ए.एल. के अन्तर्गत लाईसेन्स हेतु SDM केकडी के यहॉ आवेदन प्रस्तुत किया जिसे SDM केकडी द्वारा सम्बन्धित प्रवर्तन निरीक्षक को जाचं कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु मार्क किये जाने पर सम्बन्धित प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत भी की गई। नोटिफिकेशन दिनांक 20.10.2015 के द्वारा Trader के साथ Producer भी जोडा गया। इससे पूर्व Producer को आर.टी.ए.एल लाईसेन्स की आवश्यकता नहीं थी। केवल Traders को ही आवश्यकता थी। वह भी गत नोटिफिकेशन के दिनांक 30.9.2015 को अवधि पूर्ण हो जाने के पश्चात दिनांक 16.10.2015 को तो ना प्रोड्यूसर के लिए एवं ना ही डीलर के लिए आर.टी.ए.एल लाईसेन्स की आवश्यकता थी। राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 20.10.2015 के क्लाज (3) के मुताबिक 15 दिन में अनुज्ञापत्र प्राप्त करना था। अप्रार्थी कानूनन अपना उद्योग चला रहा है। उनके द्वारा सभी सामग्री कानूनन भण्डारित की गई है। अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से कानून का कोई उल्लघंन नहीं किया है। अप्रार्थी के विरूद्ध जब्त दालो को बढे हुए दामो में विक्रय या कालाबाजारी किये जाने हेतु भण्डारण बाबत कोई रिकार्डेड साक्ष्य नहीं है। कार्यवाही दिनांक 22.10.2015 को प्रार्थी जांच/कार्यवाही हेतु विधिक रूप से अधिकृत नही थे। प्रार्थी द्वारा जब्त सामग्री का कोई नमूना भी नहीं लिया गया एवं ना ही सामग्री को सील्ड किया गया। जब्त सामग्री जिसकी सुपुर्दगी में दी गई वह प्रार्थी का एजेन्ट है अप्रार्थी द्वारा खुर्द बुर्द किये जाने के कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही है। अतः प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय खर्चे खारिज फरमाया

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

11/04/18

जिला कलक्टर
अजमेर

जावें एवं जब्त सामग्री अप्रार्थी को वापिस दिलवाये जाने का आदेश न्यायहित में पारित फरमाया जावें। बहस के जवाब में प्रार्थी पेरौकार सरकार ने कथन किया कि वर वक्त जांच कार्यवाही अप्रार्थी द्वारा आर.टी.ए.एल. लाईसेंस हेतु आवेदन किये जाने बाबत कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया इनके द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया वह न्यायालय में ही किया है यदि उसी वक्त साक्ष्य प्रस्तुत कर देते तो कार्यवाही की आवश्यकता ही नहीं होती। जो साक्ष्य प्रस्तुत किया है वह न्यायालय में ही किया न्यायालय के समक्ष अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा आर.टी.ए.एल. अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने के कथन किये है अप्रार्थी का यह कृत्य आफ्टर थाट है। राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनाक 20.10.2015 के द्वारा Raj. Trade article(licencensing and Control) order 1980 के क्लाज 3 से 16 में विशेष रूप से संशोधन किया गया है तथा स्टॉक सीमा निर्धारित की गई है। इस नोटिफिकेशन से पूर्व दिनांक 22.6.2015 को राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन जो कि दिनांक 30.9.2015 तक प्रभावी था, दाल दलहन के व्यापार हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त करना आवश्यक था एवं स्टॉक लिमिट निर्धारित थी। अतः स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा लगातार बिना अनुज्ञप्ति दाल/दलहन का अवैध भण्डारण एवं व्यापार कर राज्य सरकार के निर्देशों की निरन्तर अवहेलना की जा रही है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अपर सेशन न्यायाधीश संख्या– 1 अजमेर द्वारा अपने आदेश दिनांक 22.4.2016 के द्वारा इस न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.11.2015 मुख्यतः निम्न बिन्दुओं के के तहत अपास्त कर प्रतिप्रेषित किया गया है कि :–

1. उभय पक्ष को समुचित साक्ष्य का अवसर प्रदान करें।
2. क्या भण्डारण अपराधिक आशय से किया गया था ?
3. राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 20.10.2015 के तहत 15 दिवस में आर.टी.ए.एल. हेतु आवेदन करने का समय था। प्रार्थी द्वारा दिनांक 16.10.2015 को ही आवेदन कर दिया था जिस पर जांच/कार्यवाही दिनांक 22.10.2015 से पूर्व प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट भी हो चुकी थी। इस बिन्दु पर भी जांच करना आवश्यक था।
4. क्या पूर्व में Producer सम्मिलित नहीं था, अधिसूचना दिनांक 20.10.2015 के बाद ही Producer को सम्मिलित किया गया है ?

माननीय सिविल न्यायालय के आदेश दिनांक 22.04.2016 के निर्देशानुसार बिन्दूवार निर्णय निम्न प्रकार पारित किया जाता है।

1. उभय पक्ष को समुचित साक्ष्य का अवसर प्रदान करें।

माननीय न्यायालय के आदेशानुसार दोनो पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया। उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य रिकार्ड पर लेकर जिरह पूर्ण करवाई जाकर बहस उभक्ष पक्ष सुनी गई।

2. क्या भण्डारण अपराधिक आशय से किया गया था ?

इस बिन्दु के संदर्भ में अप्रार्थी का तर्क कि वह एक दाल उत्पादक है तथा उक्त परिसर में उसकी दाल मिल स्थापित है। अप्रार्थी, अपना उद्योग मैसर्स गोयल इण्डस्ट्रीज के नाम से कर रहा है तथा उसके पास कृषि उपज मण्डी समिति, अजमेर का स्थाई लाईसेन्स है, एवं वह वाणिज्यिक कर विभाग से पंजीकृत है। अप्रार्थी के पास Food safety and standard act, 2006 के तहत राजस्थान सरकार के सम्बन्धित विभाग द्वारा जारी लाईसेंन्स है, इन तथ्यों को पैरोकार सरकार द्वारा भी नकारा नहीं गया

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

12/04/18

जिला कलक्टर
अजमेर

है। उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अप्रार्थी का उक्त भण्डारण अपराधिक आश्य से किया जाना प्रकट नहीं है। अतः यह बिन्दु अप्रार्थी के पक्ष में तय किया जाता है।

3. राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 20.10.2015 के तहत 15 दिवस में आर. टी.ए.एल. हेतु आवेदन करने का समय था। प्रार्थी द्वारा दिनांक 16.10.2015 को ही आवेदन कर दिया था जिस पर जांच/कार्यवाही दिनांक 22.10.2015 से पूर्व प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट भी हो चुकी थी। इस बिन्दु पर भी जांच करना आवश्यक था।

राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनाक 20.10.2015 के द्वारा Raj. Trade article (licencensing and Control) order 1980) के क्लाज 3 से 16 में विशेष रूप से संशोधन किया गया है तथा स्टॉक सीमा निर्धारित की गई है। इस नोटिफिकेशन से पूर्व दिनांक 22.6.2015 को राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन जो कि दिनांक 30.9.2015 तक प्रभावी था, दिनांक 30.9.2015 से 20.10.2015 तक इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं था। आर.टी.ए.एल लाईसेंस हेतु अप्रार्थी द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष दिनांक 16.10.2015 को ही आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया था। जिस पर उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक केकडी को जांच कर रिपोर्ट करने हेतु आदेशित करते हुए दिनांक 16.10.2015 अंकित की गई है, जो कि मार्क–2 से साबित है। उपखण्ड अधिकारी केकडी के आदेश की पालना में नायब तहसीलदार, उप तहसील कादेडा (अजमेर) एवं पदेन प्रवर्तन निरीक्षक केकडी द्वारा दिनांक 16.10.2015 को ही अपने हस्ताक्षर युक्त आर.टी.ए.एल.चैक लिस्ट तैयार कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जो कि मार्क –4 से स्पष्ट है। लिहाजा यह बिन्दु भी अप्रार्थी के पक्ष में तय किया जाता है।

4. क्या पूर्व में Producer सम्मिलित नहीं था, अधिसूचना दिनांक 20.10.2015 के बाद ही Producer को सम्मिलित किया गया है ?

अधिसूचना दिनांक 20.10.2015 के बाद ही Producer को सम्मिलित किया गया है। इस तथ्य को उभय पक्ष द्वारा स्वीकार किया है एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से भी साबित है। लिहाजा यह बिन्दु भी अप्रार्थी के पक्ष में तय किया जाता है।

बिन्दु संख्या 01 न्यायालय के क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित है के अलावा शेष तीनो बिन्दु अप्रार्थी के पक्ष में तय किये गये है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा की गई जांच/कार्यवाही दिनांक 22.10.2015 से पूर्व अप्रार्थी द्वारा आर.टी.ए. एल. अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया था। चूंकि अधिसूचना दिनांक 20.10.2015 में 15 दिवस का समय दिया गया था। लिहाजा जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 22.10. 2015 को की गई जांच/कार्यवाही विधिसम्मत नहीं होने एवं मामला आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत नहीं पाया जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, अजमेर को जब्त शुदा 1239.80 क्वि0 दाले एवं मूंग अथवा उसके निस्तारण से प्राप्त राशि अप्रार्थी को लौटाये जाने का आदेश दिया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 12.04.2018 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

12/04/18

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर